भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *196

जिसका उत्तर दिनांक 04.08.2022 को दिया जाना है

परमाणु और रेडियोलॉजी से संबंधित आपात स्थितियों के लिए योजना

***196 श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा :**

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परमाणु तथा रेडियोलॉजी से संबंधित आपात स्थितियों के लिए आम जनता की सुरक्षा हेतु कोई विशेष योजना बनाई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में उन्नत तकनीक विकसित करने वाले देशों के साथ परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा हेतु विचार-विमर्श किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो पिछले दो वर्षों में ऐसे किन-किन देशों के साथ सरकार द्वारा विचार-विमर्श किए गए हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) से (घ) सदन के पटल पर विवरण प्रस्तुत है ।

*****

भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

"परमाणु और रेडियोलॉजी से संबंधित आपात स्थितियों के लिए योजना" के संबंध में श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *196, जिसका उत्तर दिनांक 04.08.2022 को दिया जाना है, के उत्तर में संदर्भित विवरण ।

(क) तथा (ख) जी, हां। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी), 2019 नाभिकीय और रेडियोलॉजिकल आपात स्थितियों (एनआरई) सहित सभी आपदाओं के प्रबंधन को निर्धारित करती है। सभी हितधारकों - परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई), गृह मंत्रालय (एमएचए), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) और नियंत्रक परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) की भूमिका और उत्तरदायित्व एनडीएमपी में निर्धारित हैं। तदनुसार, सभी हितधारकों ने एनआरई के संबंध में वांछित स्तर की तैयारी हेतु देश में प्रशासन के विभिन्न स्तरों (केन्द्रीय, राज्य और जिला) पर अपनी संबंधित कार्य योजना बनाई है। जिला प्राधिकारियों ने स्थलीय नाभिकीय विद्युत संयत्रों (एनपीपी) के साथ आपात स्थिति के दौरान जन संरक्षण कार्रवाई के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक संस्थागत ढ़ांचे, व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं सहित एनआरई का सामना करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना (डीडीएमपी) के भाग के रूप में आपातकालीन तैयारी की योजना बनाई है, यद्यपि नाभिकीय और रेडियोलॉजिकल सुविधा के लिए स्थापित बहु-स्तरीय संरक्षा और सुरक्षा उपायों एवं मौजूद प्रक्रिया के कारण वृहद् स्तर पर जनता को प्रभावित करने वाली आपात स्थिति के घटित होने की अत्यधिक संभावना नहीं है।

(ग) भारत का नाभिकीय नियामक निकाय, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) नाभिकीय और विकिरण संरक्षा से संबंधित मामलों पर अन्य देशों के नाभिकीय निकाय के साथ विचार-विमर्श करता है। भारत “नाभिकीय संरक्षा समझौते” (सीएनएस) का एक पक्षकार है। सीएनएस प्रत्येक तीन वर्ष में नाभिकीय कार्यक्रम वाले देशों की नाभिकीय संरक्षा के सभी पहलुओं की समीक्षा करता है। सीएनएस समीक्षा के दौरान भारत के संरक्षा पहलुओं पर शेष विश्व के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाता है और संतोषजनक पाया गया है। एईआरबी ने, नाभिकीय संरक्षा और विकिरण संरक्षण के नियमन में तकनीकी सूचना के आदान-प्रदान और सहयोग हेतु फ्रांस, रूस, युक्रेन, यूएस, फिनलैण्ड, कनाडा, बांग्लादेश, ग्रेट ब्रिटेन और वियतनाम के नियामक निकायों के साथ द्विपक्षीय व्यवस्थाएं की हैं।

(घ) एईआरबी अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) और नाभिकीय ऊर्जा एजेंसी (एनईए) द्वारा आयोजित बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है और योगदान देता है। पिछले दो वर्षों में, एईआरबी ने नाभिकीय संरक्षा पर तकनीकी सूचना के आदान-प्रदान और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए यूएस, कनाडा और फ्रांस के नियामक निकायों के साथ विचार-विमर्श किया। एईआरबी ने पिछले वर्ष फ्रांस नाभिकीय संरक्षा प्राधिकरण (एएसएन), फ्रांस के साथ द्विपक्षीय सहयोग व्यवस्था को नवीकृत किया है।

*****